विजय कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 21 /2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः जून 15, 2023

विषयः क्रि0 मिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-52326/2022 सूर्यांश खरबन्दा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 08.05.2023 तथा क्रि0 मिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-50486/2022 गिरजाशंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 15.05.2023 को सुनवाई के दौरान विवेचना के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ को दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपराधिक अभियोगों की विवेचना की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित बाक्स में अंकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं तथा इन्हीं निर्देशों को समेकित करते हुये मुख्य अपराधों की विवेचना हस्तपुस्तिका डीजीं परिपत्र संख्या-40/2021 दिनांकित 20.10.2021 जारी की गयी है किन्तु जनपद स्तर पर विवेचकों द्वारा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र सं0-40/2021 दि0-20.10.2021
डीजी परिपत्र सं0-36/2021 दि0-23.09.2021
डीजी परिपत्र सं0-28/2021 दि0-19.08.2021
डीजी परिपत्र सं0-24/2020 दि0-28.07.2020
डीजी परिपत्र सं0-53/2019 दि0-19.12.2019
डीजी परिपत्र सं0-01/2019 दि0-22.01.2019
डीजी परिपत्र सं0-06/2018 दि0-19.02.2018

क्रि0 मिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-52326/2022 में पारित आदेश दिनांकित 08.05.2023 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 162/2021 धारा-498ए/323/504/506/304बी/120बी भादवि तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-नजीराबाद, कमिश्नरेट कानपुर की विवेचना में विवेचक द्वारा की गयी त्रुटियों का उल्लेख करते हुये भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों के निराकरण हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की ओर से निर्देश निर्गत किये जाने की निम्नवत अपेक्षा की गयी है–

> "Director General of Police, U.P. Lucknow to look into the matter in the light of the observations of this Court as mentioned in preceding paragraph Nos. 30,45 to 50 and 55 to 57 relating to faulty investigation and issue suitable guideline in respect of fair investigation in all cases within four weeks in order to maintain the public faith in investigating agencies as well as upon the courts."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरोक्त वर्णित प्रस्तरों में मुख्य रूप से विवेचना के दौरान महत्वपूर्ण गवाहों के बयान न अंकित किये जाने, महत्वपूर्ण अभिलेखीय एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य पर कोई विश्लेषण न किया जाना, टेलीफोन वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट बनाकर केसडायरी में संलग्न न किया जाना तथा धारा-65 बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र न प्राप्त करना शामिल है।

.....2

क्रि0मिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-50486/2022 में दिनांक 15.05.2023 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मा0 न्यायालय में उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ को मा0 न्यायालय ने विवेचना के दौरान विवेचकों द्वारा सामान्य रूप से की जा रही त्रुटियों से अवगत कराया तथा इनके निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने तथा दोषी विवेचकों को दण्डित करने तथा भविष्य में विवेचना के कार्य से पृथक करने की अपेक्षा की है। मा0 न्यायालय द्वारा विवेचना में सामान्य रूप से निम्नलिखित त्रुटियाँ होना बताया गया है–

- अभियोगों में अभियुक्तों की जिस तरह की भूमिका हो, दौराने विवेचना उसी के अनुरूप धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया जाय। इस हेतु समीक्षा की ऐसी प्रक्रिया बनायी जाय, जिससे भविष्य में ऐसी गलतियाँ न हो।
- कुछ अभियोगों की विवेचनाओं में परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 रिपोर्ट भेजे बिना ही आरोप पत्र में इस तथ्य का उल्लेख कर दिया जा रहा है कि एफ0एस0एल0 रिपोर्ट परीक्षण हेतु भेज दी गयी है, जबकि एफ0एस0एल0 रिपोर्ट थाने पर ही रखी रहती है। एफ0एस0एल0 रिपोर्ट समय से परीक्षण हेतु लैब चली जाये, इसको सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाये जाने की मा0 न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गयी है।
- कुछ विवेचनाओं में गवाहों का मजीद बयान लेकर अपराधी का नाम निकाल दिया जा रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने की व्यवस्था बनाये जाने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गयी है।
- जेल में बंद कई अपराधियों, जिनके मामलों में आरोप पत्र लग चुका है, के प्रकरणों में सम्मन तामीला समय से सुनिश्चित कराने की मा0 न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गयी है।
- क्रिमिनल अपील नं0-203/2022 वसीम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में शासन द्वारा जो एफिडेविट लगाया गया है, उन बिन्दुओं पर सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने की मा0 न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गयी है।
- जो विवेचक विवेचना में लापरवाही बरत रहे हैं और जिनकी वजह से निर्दोष को भी जेल में रहना पड़ रहा है, ऐसे विवेचकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये, सिर्फ Misc Conduct पर्याप्त नहीं है। मुख्यालय स्तर पर इस सम्बन्ध में विचार किये जाने और सम्भव हो तो ऐसे विवेचक को भविष्य में किसी तरह की विवेचना न दिये जाने की मा0 न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गयी है।

आपराधिक अभियोगों की विवेचना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में की जा रही विपरीत टिप्पणियों से यह परिलक्षित हो रहा है कि जनपद स्तर पर विवेचकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक विवेचना सम्पादित नहीं की जा रही है तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा विवेचना के निकट पर्यवेक्षण सम्बन्धी अपने दायित्व का सतर्कता से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। आप सहमत होंगे कि विवेचना में की गयी त्रुटियों का लाभ अंततः अभियुक्त को ही मिलता है तथा पीड़ित पक्षकार न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं।

.....3

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं तथा विवेचना के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत परिपत्रों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जनपद के विवेचकों को विवेचना की बारीकियों से परिचित कराने हेतु समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाये, जिसमें विधि विशेषज्ञों, साइबर क्राइम/कम्प्यूटर विशेषज्ञों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाये, जो कार्यशाला के दौरान विवेचकों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान एवं शंकाओं का निराकरण कर सकें

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध),उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।